

कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, सिद्धार्थनगर।

पत्रांक:-C-381 /जि0प्रो0का0 /विज्ञापन/2020-21 दिनांक- 11-8-2020

विषय:-महिला कल्याण विभाग द्वारा भारत सरकार सहायतित बाल संरक्षण सेवायें (पूर्व नाम समेकित बाल संरक्षण योजना) के अन्तर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई में विभिन्न पदों के लिए रिक्तियों की विज्ञप्ति।

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम-2000 यथा संशोधित अधिनियम-2006 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा सहायतित बाल संरक्षण सेवायें (पूर्व नाम समेकित बाल संरक्षण योजना) दिनांक-24.11.2010 को प्रदेश में प्रभावी हो चुकी है। उक्त योजना के सुचारु संचालन हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर इकाईयों की स्थापना करते हुए पदों की भर्ती की जानी है। महिला कल्याण विभाग द्वारा भारत सरकार सहायतित बाल संरक्षण सेवायें (पूर्व नाम समेकित बाल संरक्षण योजना) के अन्तर्गत जनपद सिद्धार्थनगर में जिला बाल संरक्षण इकाई के लिए आवेदन पत्र, शासनादेश संख्या-3007/60-1-12-1- /13/71/06 दिनांक-04.09.2012 एवं शासनादेश संख्या-1860/60-1-14-1/13(71)/06 दिनांक-09 दिसम्बर 2014 के अनुसार आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र० सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	आयु	पद हेतु आरक्षण की स्थिति	नियत मानदेय प्रतिमाह	अर्हता	पदों की प्रकृति एवं अवधि
01.	संरक्षण अधिकारी, (गैर सांस्थानिक देखभाल)	01	25 से 45 वर्ष	अनारक्षित	21000/-	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ निम्नलिखित किसी एक विषयों यथा सामाजिक कार्य/समाज शास्त्र/मनोविज्ञान में स्नातक उपाधि अनुभव:- 1. बच्चों की देखरेख, संरक्षण एवं पुनर्वास के क्षेत्र में 01 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव। 2. हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के लेखन एवं बोलने में दक्षता। 3. कम्प्यूटर संचालन में दक्षता।	पद की प्रकृति-संविदा स्तर पर, अवधि सम्बन्धित कार्मिक का प्रति वर्ष मूल्यांकन किया जायेगा। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर कार्यकाल अधिकमत 05 वर्ष के लिए बढ़ाया जायेगा।
02.	विधि सह परिवीक्षा अधिकारी	01	25 से 45 वर्ष तक	अनारक्षित	21000/-	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ निम्नलिखित किसी एक विषय यथा सामाजिक कार्य/समाज शास्त्र/मनोविज्ञान में स्नातक उपाधि अनुभव:- 1. बच्चों की देखरेख, संरक्षण एवं पुनर्वास के क्षेत्र में 01 वर्ष तक कार्य का अनुभव। 2. बालकों के अधिकारों का समुचित ज्ञान। 3. हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के लेखन एवं बोलने में दक्षता। 4. कम्प्यूटर संचालन में दक्षता।	पद की प्रकृति-संविदा स्तर पर, अवधि सम्बन्धित कार्मिक का प्रति वर्ष मूल्यांकन किया जायेगा। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर कार्यकाल अधिकमत 05 वर्ष के लिए बढ़ाया जायेगा।

आवश्यक निर्देश-1-उपर्युक्त पदों पर चयन लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव से उच्च मानक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर उम्मीदवारों की संख्या एक उचित सीमा तक सीमित किया जा सकता है। 2-सरकारी सेवा में कार्यरत उम्मीदवार अपने आवेदन-पत्र सम्बन्धित कार्यालय/विभागों के माध्यम से भेजें। 3-डाक में विलम्ब के कारण लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के बुलावा पत्र देरी से

प्राप्त होने/प्राप्त नहीं होने के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। 4-चयन प्रक्रिया के बाद केवल चयनित उम्मीदवारों को उनके चयन की सूचना भविष्य में दी जायेगी और इस विषय पर कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा। 5-चयन समिति का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा। 6-पंजीकृत डाक से आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि-31.08.2020 सांय 05:00 बजे तक होगी समस्त आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से प्राप्त होने पर ही स्वीकार किये जायेंगे। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। 7-समस्त शैक्षिक अर्हता, अनुभव एवं अभिलेखों निर्धारित आवेदन-पत्र पर अंकित करते हुए सम्बन्धित अभिलेखों की स्व-प्रमाणित प्रतियां संलग्न करते हुए सम्बन्धित जनपद के जिला प्रोवेशन अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा। 8-पृथक-पृथक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन पत्र व्यवहार में लाये जायेंगे। 9-आवेदन-पत्र के लिफाफे पर जिला बाल संरक्षण इकाई, पद का नाम, जनपद का नाम स्पष्ट अंकित हो। 10-साक्षात्कार/लिखित परीक्षा हेतु आने-जाने हेतु कोई भत्ता देय नहीं होगा। 11-25 रु0 का डाक टिकट लगा दो स्वपता लिखा लिफाफा। 12-कार्यालय का पता जिला प्रोवेशन अधिकारी, कलेक्ट्रेट, सिद्धार्थनगर।  
संलग्नक:-आवेदन पत्र का प्रारूप।

(विनोद राय)

जिला प्रोवेशन अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी,  
सिद्धार्थनगर।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित की सेवा में सादर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, सिद्धार्थनगर।
2. निदेशक महिला कल्याण उ0प्र0 लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
4. उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, बस्ती मण्डल बस्ती।
5. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी सिद्धार्थनगर को इस आशय से प्रेषित कि एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

(विनोद राय)

जिला प्रोवेशन अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी,  
सिद्धार्थनगर।